न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–68 / 2017
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम अशोक कामती

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
19/2/2020	**आदेश**	

प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–432 / गो0, (नगर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, दरभंगा) दिनांक 12.03.2017 से प्राप्त केवटी थाना कांड सं0–33 / 17 दिनांक 05.03.2017 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन महिन्द्रा सेन्ट्रो NXT मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR07V-2163 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी है। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी इन्द्रजीत कमती, पिता–शिवजी कमती को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी वे इस वाद में उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किये। न्यायहित में एकपक्षीय सुनवाई की गयी।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल को संध्या गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली कि दड़िमा चौक पर कुछ व्यक्ति द्वारा रोड किनारे मोटरसाईकिल खड़ा कर शराब की खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के सत्यापन हेतु घटनास्थल के लिए प्रस्थान किये। दड़िमा चौक पहुँच कर आने जाने वाले मोटरसाईकिल पर नजर रखने लगा। तत्पश्चात् एक मोटरसाईकिल–BR07V-2163 को चलाते हुए एक युवक आया और रोड के किनारे लगा दिया। तभी एक मोटरसाईकिल चालक के पास आया और मोटरसाईकिल की डिक्की को घेर का खड़ा हो गया और कोई सामान डिक्की में रखा। शंका होने पर पुलिस बल के सहयोग से चारों युवक को पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें से तीन युवक को पकड़ लिया गया, एक युवक भाग गया। मोटरसाईकिल के पास आया तो देखा कि डिक्की खुला हुआ ही है और उसमें से एक ब्लु रॉक प्रिमियम व्हिस्की 750*ml* का शराब बरामद हुआ। जिसे उक्त वाहन के साथ विधिवत् जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब, चौर्य व्यापार, परिवहन अथवा भण्डारण दण्डनीय अपराध है। अतः विधिवत् आदेश पारित किया जा सकता है।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जब्त मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR07V-2163 से 750*ml* का अवैध शराब बरामद हुआ है, चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन अथवा सेवन दण्डनीय अपराध है, परन्तु उक्त वाहन से मात्र 750*ml* का एक बोतल शराब बरामद होना उक्त वाहन से व्यापार की दृष्टिकोण से समीचीन प्रतीत नहीं होता है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के विभिन्न वादों में पारित आदेश में निदेशित है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से शराब बरामद होने पर ही विधि–सम्मत् आदेश पारित किया जाय। उक्त के आलोक में उक्त

8

जब्त वाहन को राज्यसात् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतएव केवटी थाना कांड सं0–33/17 दिनांक 05.03.2017 में जब्त वाहन महिन्द्रा सेन्ट्रो NXT मोटरसाईकिल निबंधन सं0–BR07V-2163 को बंधपत्र, शपथ पत्र/अंडरटेकिंग तथा वाहन के बीमित मूल्य के बराबर एक प्रतिभूति वाहन स्वामी द्वारा दाखिल करने पर वाहन को विमुक्त करें।

अभिलेख पुनः दिनांक 17/3/20 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा	समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा